

न्यायालय, अपर समाहर्ता-सह-अपर जिला दण्डाधिकारी, खगड़िया

उत्पाद अधिहरण वाद संख्या-390/2019-20

(खगड़िया थाना कांड सं0-785/2019)

राज्य बनाम सुलिन्द्र सिंह

आदेश की क्रम सं0 और तारीख	आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की ग कार्रवाई के बारे टिप्पणी तारीख-सहित
1	2	3
21/8/21	<p style="text-align: center;">आदेश</p> <p>प्रस्तुत वाद पुलिस अधीक्षक, खगड़िया के पत्रांक 436/हि0शा0 दिनांक 13.02.2020 के द्वारा खगड़िया थाना कांड संख्या-785/2019, दिनांक 22.10.2019, धारा-30ए बिहार मद्य निषेध एवं उत्पाद अधिनियम, 2016 में जप्त एक तीन पहिया टैम्पु वाहन निबंधन संख्या-PB65K-1507 को बिहार मद्यनिषेध एवं उत्पाद अधिनियम, 2016 (संशोधित अधिनियम, 2018) की धारा-58 के अंतर्गत राजसात करने के समर्पित प्रस्ताव के आलोक में आरंभ किया गया।</p> <p>पुलिस निरीक्षक सदर, खगड़िया के प्रतिवेदन दिनांक-30.10.2019 के अनुसार दिनांक-22.10.2019 को समय करीब 13:20 बजे चेकिंग के क्रम में दोपहर 13:20 बजे राजेन्द्र चौक पर आने जाने वाले वाहनों की चेकिंग के दौरान यह महसूस हुआ कि एक टैम्पु को लाकर राजेन्द्र चौक के पास काफी देर से खड़ाकर चालक हट गया। ये आसपास काफी देर तक तलाश किये तथा लोगों से बातकर उक्त टैम्पु के चालक की खोज किये। परन्तु कोई भी दावेदार उपस्थित नहीं हुए। साथ में आये गृह रक्षक 654 रामविलास यादव एवं गृह रक्षक-460706 हीरालाल दास को साक्षी मानकर तलासी प्रारंभ किये तो उक्त हरे रंग का तीन पहिया टैम्पु गाडी पियाजों कम्पनी का वाहन निबंधन संख्या- PB65K-1507 के सीट के नीचे छुपाकर रखा गया 750 एम0एल0 का 999 Power Star Fine का कुल-70 पीस बोटल कुल-52.500 लीटर विदेशी शराब बरामद हुआ है। जो बिहार मद्यनिषेध अधिनियम, 2016 की धारा-30(ए) के तहत दंडनीय अपराध है।</p> <p>पुलिस अधीक्षक, खगड़िया के द्वारा प्रतिवेदित किया गया कि उक्त वाहन एवं व्यक्तियों के विरुद्ध खगड़िया थाना कांड संख्या-785/2019 दिनांक 22.10.2019 धारा-30(ए) बिहार मद्यनिषेध एवं उत्पाद अधिनियम, 2016(संशोधित अधिनियम 2018) के तहत प्राथमिकी दर्ज किया गया है।</p> <p>चूंकि अवैध शराब/मादक द्रव्य/नशीली पदार्थ की खरीद- बिक्री, भंडारण, परिवहन, सेवन आदि को बिहार मद्यनिषेध एवं उत्पाद अधिनियम, 2016 की धारा-13 के अंतर्गत निषेध किया गया है एवं 30(ए) के तहत दण्डनीय अपराध घोषित किया गया है, इसलिए पुलिस अधीक्षक, खगड़िया से प्राप्त उक्त प्रस्ताव के आलोक में बिहार मद्यनिषेध एवं उत्पाद अधिनियम, 2016(संशोधित अधिनियम 2018) के अंतर्गत वाद प्रारंभ करने का पर्याप्त आधार पाते हुए उक्त अधिनियम की धारा-58 के अंतर्गत कार्यवाही प्रारंभ की गई।</p> <p>अवैध रूप से शराब के खरीद-बिक्री, भंडारण एवं परिवहन के आरोप में उक्त सभी व्यक्तियों एवं वाहनों के वाहन स्वामी से इस न्यायालय के द्वारा कारण-पृच्छा किया गया।</p> <p>विपक्षी को निबंधित डाक एवं दैनिक समाचार पत्र (दैनिक जागरण एवं दैनिक भास्कर) में दिनांक-08.04.2021 को प्रकाशन द्वारा नोटिस निर्गत किया</p>	

आदेश की क्रम सं० और तारीख	आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर कार्रवाई के दिनांक टिप्पणी तारीख—सहित
	<p>गया। किन्तु उसके बाबजूद विपक्षी इस वाद में उपस्थित नहीं हुए। जिससे प्रतीत होता है कि विपक्षी को इस वाद में कोई अभिरुची नहीं है। अतः वाद के अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर एकपक्षीय सुनवाई किया गया।</p> <p>विद्वान विशेष लोक अभियोजक, उत्पाद, खगड़िया का कथन है कि विपक्षी इस वाद में नोटिस के बाबजूद उपस्थित नहीं हुए जिससे स्पष्ट है कि उन्हें इस वाद में कोई अभिरुची नहीं है तथा अभियोजन के द्वारा किया गया कथन और उनके विरुद्ध गठित आरोप सत्य है।</p> <p>बिहार मद्यनिषेध और उत्पाद अधिनियम, 2016 की धारा-13 में शराब अथवा मादक द्रव्यों को निषेध घोषित किया गया है।</p> <p>Section 13 : Prohibition of liquor or intoxicants – No Person shall manufacture, bottle, distribute, transport, collect, store, posses, purchase, sell or consume any intoxicant or liquor.</p> <p>बिहार मद्यनिषेध और उत्पाद अधिनियम, 2016 की धारा-30 में शराब के अवैध आयात, निर्यात, परिवहन, विक्रय आदि को दण्डनीय घोषित किया गया है।</p> <p>Section 30 : Penalty for unlawful import, export, transport, manufacture, possession, sale, etc.- Whoever, in contravention of provision of this Act or of any rule or order made or notification issued under this Act or in contravention of any condition of any license or permit or pass, renewed under this Act or without a valid license, permit or pass issued under this Act-</p> <p>(a) manufactures, possesses, buys, sells, distributes, collects, bottles, imports, exports, transports or removes any intoxicant or liquor.</p> <p>बिहार मद्यनिषेध और उत्पाद अधिनियम, 2016 की धारा-56 में अधिहरण की जा सकने वाले सामानों का उल्लेख किया गया है :-</p> <p>(क) कोई ऐसा मादक द्रव्य, शराब सामग्री, भभका (स्टिल), बर्तन, औजार, उपकरण जिसकी बाबत या जिससे यह अपराध किया गया हो;</p> <p>(ख) खंड (क) के अधीन अधिहरण के भागी किसी मादक द्रव्य के अलावे या के साथ गैर कानूनी ढंग से आयात की गयी, ढोयी गयी विनिर्मित की गयी, बेची गयी या लायी गयी कोई नषीली वस्तु या शराब;</p> <p>(ग) कोई पात्र, पैकेज या आवरक जिसमें खंड (क) या खंड (ख) के अधीन अधिहरण की भागी कोई वस्तु पायी जाती हो और ऐसे पात्र, पैकेज या आवरक की अन्य अन्तर्वस्तु यदि कोई हो;</p> <p>(घ) उसे ढोने के काम में लाये जाने वाले पशु, वाहन, जलयान या परिवहन के अन्य साधन;</p> <p>(ङ) कोई परिसर या उसका कोई हिस्सा जिसे इस अधिनियम के अधीन किसी शराब अथवा मादक द्रव्य के भंडारण अथवा विनिर्माण के लिए अथवा किसी अपराध को करने के लिए प्रयोग में लाया गया हो।</p> <p>अभिलेख का अवलोकन किया। अवलोकन से स्पष्ट है कि तीन पहिया टैम्पु वाहन निबंधन संख्या-PB65K-1507 के सीट के नीचे छुपाकर 750 एम०एल० का 70 बोटल कुल-52.500 लीटर विदेशी शराब के साथ बरामद किया। जिसे उक्त वाहन के साथ विधिवत जप्त किया गया। उक्त वाहन एवं मालिक के विरुद्ध सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत अग्रेतर कार्रवाई की गयी है तथा तीन पहिया</p>	

आदेश की क्रम सं० और तारीख

आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर

आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख-सहित

टैम्पु के सीट नीचे कुल-52.500 लीटर विदेशी शराब जो व्यापारिक उद्देश्य प्रमाणित किए जाने हेतु पर्याप्त आधार है। माननीय उच्च न्यायालय पटना के विभिन्न वादों में पारित आदेशों में भी निदेशित है कि बरामद शराब की व्यापारिक मात्रा को देखते हुए जप्त वाहन का राजसात किया जाए। किन्तु यह देखते हुए कि जप्त वाहन के दावेदार समाचार प्रकाशन के बाद भी उपस्थित नहीं हुए और वाहन जप्ती के स्थल की परिस्थितियां पर्याप्त रूप से इंगित करती हैं कि जप्त वाहन का प्रयोग वाणिज्यिक उद्देश्य के लिये किया जाता था। अतः निम्न आदेश दिया जाता है:-

1. इस अपराध में प्रयुक्त तीन पहिया टैम्पु वाहन निबंधन संख्या-PB65K-1507 जप्त कर खगड़िया थाना में रखा हुआ है, को बिहार मद्यनिषेध और उत्पाद अधिनियम-2016 (संशोधित अधिनियम-2018) की धारा- 58(2) के अन्तर्गत अधिहरण किया जाता है। अधिहरण किया जाने वाला वाहन किसी भी ऋण-भार से मुक्त होगा। साथ ही लोकहित में यह भी आदेश दिया जाता है कि इस अधिनियम की धारा-58(5) के अन्तर्गत सार्वजनिक नीलामी के माध्यम से इसकी बिक्री किया जाय।

2. जिला परिवहन पदाधिकारी, खगड़िया को निदेश दिया जाता है कि वे खगड़िया थाना में तीन पहिया टैम्पु वाहन निबंधन संख्या-PB65K-1507 को मोटर यान निरीक्षक के माध्यम से मुआईना कराकर उसका मूल्यांकन प्रतिवेदन तीन दिनों के अन्दर उत्पाद अधीक्षक, खगड़िया को समर्पित करेंगे।

3. अधीक्षक उत्पाद, खगड़िया को आदेश दिया जाता है कि उक्त वाहन की सार्वजनिक नीलामी की कार्रवाई करेंगे और नीलामी से प्राप्त धन राशि सरकारी खजाने में विधि-रीति से जमा करना भी सुनिश्चित करें।

आदेश की प्रति उत्पाद आयुक्त, बिहार, पटना/उत्पाद अधीक्षक, खगड़िया/जिला परिवहन पदाधिकारी, खगड़िया/थानाध्यक्ष, खगड़िया थाना को भेजे तथा आदेश की एक प्रति जिला के बैबसाईट पर भी प्रकाशनार्थ भेजे। उपर्युक्त विवेचना के साथ वाद की कार्यवाही समाप्त की जाती है।

लेखापित एवं संशोधित।

अपर समाहर्ता,
-सह-

अपर जिला दण्डाधिकारी,
खगड़िया।

अपर समाहर्ता,
-सह-

अपर जिला दण्डाधिकारी,
खगड़िया।

उ० के० न० 450 दिनांक 24/8/24
प्रतिनिधि - उत्पाद आयुक्त, बिहार, पटना/उत्पाद
अधीक्षक, खगड़िया। जिला परिवहन पटना/अधीक्षक
खगड़िया। थानाध्यक्ष, खगड़िया को भेजना के लिये
आवश्यक कार्रवाई लेने के लिये।
प्रतिनिधि - N.F.C. खगड़िया को बैबसाईट पर प्रकाशनार्थ
भेजना।

अपर जिला दण्डाधिकारी
खगड़िया।